International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 6, Issue 5, May 2019
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

महिला अधिकार एवं कल्याणकारी योजनाएँ

अंजुला जैन
प्राणी विज्ञान विभाग, देवनागरी महाविद्यालय, मेरठ (उ0प्र0)

आज महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि कर्म क्षेत्र की किसी भी दिषा में अवसर मिलने पर वे पुरूषों से पीछे नहीं रहेगी। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, राजनीति, कूटनीति आदि में महिलाओं ने स्वयं को सफल सिद्व कर दिखला दिया है कि वह पुरूष से कम नहीं है।

भारत में नारी चेतना का तथ्य सामने आया है अनेक सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास महिलाओं की सामाजिक, वैयक्तिक और आर्थिक उन्नति के पहलुओं पर कार्यरत है।

हमारे संविधान ने महिलाओं को कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु अनेक अधिकार दिए है। सन् 1950 को भारत का संविधान लागू होने से पहले तक पूरे देश में मात्र 54.16 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है। वे लिख और पढ़ सकती है।

एक समय विशेष में सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा और अनेकों धार्मिक-सामाजिक प्रतिबन्धों से जकड़ी हुई भारतीय महिलाओं की तस्वीर आज पूरी तरह से बदल चुकी है व इसका श्रेय जाता है हमारे संविधान को। संविधान ने महिलाओं की जरूरतों को समझा और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए संविधान में मुकम्मल अधिकार भी दिए। उसी के परिणामस्वरूप हर क्षेत्र में महिलाओं को ऊँचा झंकडा नजर आ रहा है। बात चाहे जगाने की हो या राजनीति में नया मुहावरा गढ़ने की, सभी क्षेत्र में महिलाऐं अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा रही है।

पंचायती राज व्यवस्था में चुनौतियों कम नही थी क्योंकि महिलाओं का चुनाव तो सरपंच के रूप में हो जाता था, पर आमूमन सत्ता की कमान उनके पति या घर के किसी दूसेर पुरूष सदस्य के पास रहती थी। पर अब महिलाओं ने 'डमी' प्रणाली या परम्परा को खत्म किया। इस परम्परा को समाप्त करने का श्रेय उत्तरांचल की प्रधान शारदा और लक्ष्मी को जाता है।

मेरा स्पष्ट मत है कि समाज में स्त्रियों को लैंगिक आधार पर न्याय मिल सकता है जब उन्हें बराबरी के स्तर पर देखा जाएगा। जब तक बराबरी का हक नहीं मिल जाता हमें अधिकारों की यह जंग जारी रखनी होगी।

महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वतन्त्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 व 16 के मौलिक अधिकार तथा अनुच्छेद 38 व 39 में राज्य के नीति निदेशक सिद्वान्त के द्वारा स्त्रियों और पुरूषों के मध्य केवल लिंग आधार पर भेदभाव करने का निषेध किया गया है तथा अनुच्छेद (घ) में पुरूषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेजन का प्रावधान है।

महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है ताकि महिलाओं को विशेष सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा सके। इनमें से कुछ निम्नलिखित है-

1. राष्ट्रीय महिला आयोगः 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक वैधानिक अधिकार प्राप्ति संस्था के रूप में किया गया है। जो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ठीक ढंग से लगू करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं से सम्बन्धित आवश्यक संसोधनों और व्यवस्थाओं से सम्बन्धित सुझाव सरकार को देने का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार पहली बार महिलाओं को स्वयं यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वे अपनी

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

स्थिति का आंकलन करें तथा अपनी स्थिति को सुधारने में अपेक्षित सहयोग दे। तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य नीति निर्धारण में सरकार को सलाह देना है।

2. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमः मानव संसाधन मंत्रालय का महिला और बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के विकास का काम देखता हैं यह विभाग एक राष्ट्रीय तन्त्र के रूप में महिलाओं के लिये कार्यक्रम और नीतियाँ बनाता है। विभाग के कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों महिलाओं के कल्याण पर विशेष बाल दिया जाता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की सामान्य प्रगति की सुविधायें जुटाना और महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके।

3. महिला समाख्या कार्यक्रमः नीदरलैण्ड सरकार से सहायता प्राप्त समाख्या कार्यक्रम महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य सेवा प्रदान करना ही नहीं अपितु महिलाओं को अपने बारे में सोचने तथा महिलाओं की रूढ़िवादी भूमिका के प्रति समाज के विचारों में परिवर्तन लाना है। इसमें महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाने पर जोर दिया जाता है। जहाँ सुविचारित निर्णय लेने के लिए विज्ञान एवं सूचना प्राप्त कर सके इसी प्रकार समानता प्राप्त करने के संघर्ष में 'शिक्षा की धुरी' महिला समाख्या का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

4. राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001: राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की स्थापना 2001 में महिला सशक्तीकरण हेतु प्रथम बार की गई। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और विकास की आधारभूत विशेषताओं को निर्धारित करने हेतु बनाई गई है। महिला नीति 2001 की मुख्य विशेषतायें है–

1. देश में महिलाओं के लिये ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे महसूस कर सकें कि वे स्वयं आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ बनाने में शामिल है।
2. देश में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए महिलाओं और पुरूषों को समाज में बराबर की भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना।
4. महिलाओं के प्रति किसी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए समुचित कानूनी प्रणाली और सामुदायिक प्रक्रिय विकसित करना।
5. महिलाओं और बालिकाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध के रूप में व्याप्त असमानताओं को दूर करना।
6. देश के सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक जीवन में महिलाओं के बराबर का भागीदार बनाना।

5. समेकित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0): महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये चलाई जार रही योजना का उद्देश्य सर्वाधिक गरीब परिवारों में बच्चों के जीवन की रक्षा की दर बढ़ाना तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं हेतु स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के और अधिक अवसर प्रदान कराना है। तथा इस योजना द्वारा कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करना है। समेकित बाल विकास योजना में निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है–

1. 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु अनौपचारिक शिक्षा
2. टीकाकरण
3. स्वास्थ्य जाँच
4. पूरक पोषाहार
5. महिलाओं हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
6. चिकित्सा निर्देशक सेवाएँ।

6. महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमः 1987 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब व सम्पत्ति विहीन महिलाओं में कौशल का विकास करना है तथा कृषि, डेयरी, मछली पालन, रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि में रोजगार उपलब्ध करना है। तथा इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

7. सोशल इन्पुट्स एरिया डेवेलपमेंटः सोशल इन्पुट्स इन एरिया डेवेलपमेंट का कार्यक्रम समर्थित गतिविधियों हेतु एक योजना है जो महिलाओं व बच्चों को लाभान्वित करेंगी। कार्यक्रम के उद्देश्य जो एस0आई0ए0डी0 हेतु युनिसेफ से उल्लिखित है। वह निम्नलिखित है।

1. महिलाओं को निर्मित योजनाओं में उनकी सहभागिता हेतु क्षमता बनाना।
2. विद्यमान सामाजिक व आर्थिक सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना।
3. पारस्परिक समर्थित सेवाओं के विकास में वृद्धि करना।
4. महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक कुशलताओं का विस्तार करना।
5. महिलाओं व बच्चों के जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि करना।
6. एस0आई0ए0डी0 कार्यक्रम को क्षेत्र के अन्य कार्यक्रम के साथ एकीकृत करने हेतु आर्टिफिशिल संस्थाओं की क्षमता को सुविधा प्रदान करना।

8. महिला विकास निगम स्थापित करने की योजनाः 1986–87 को महिला विकास निगम योजना का गठन किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमियों का पता लगाने, तकनीकी परामर्श सेवायें उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार 1992–1993 में यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गयी।

9. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणः महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ा बनाने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। देश में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये साढ़े चार सौ से अधिक प्रशिक्षण संस्थान जिनमें 30,000 से अधिक महिलायें प्रशिक्षण ले सकती है।

10. राष्ट्रीय महिला कोषः केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष से कोई महिला जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी 11,000 रू0 प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 11,800 रूप प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्र में है। 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी आर्थिक गतिविधियों जारी रखने हेतु ऋण ले सकती है।

11. राष्ट्र पोषाहार मिशन योजनाः 15 अगस्त 2001 को घोषित इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों का अनाज सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना है।

12. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाः 1 अगस्त 2003 को घोषित इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्या समुदाय के गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना है।

13. जननी सुरक्षा योजनाः अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2003 को घोषित इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण के बाद शेष शिशु जन्म तक आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए बच्चों के जन्म पर नकद सहायता उपलब्ध कराना है।

14. भारतीय जीवन सुरक्षा योजनाः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा घोषित इस योजना का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को गम्भीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर सुरक्षा कवच प्रदान करना है।

15. वन्देमातरम् योजनाः वन्देमातरम् योजना निजी चिकित्सकों की सहायता से प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जाँच, आयरन की गोली तथा गर्भनिरोधक आदि सुविधायें उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।

16. कामधेनु योजनाः महाराष्ट्र में प्रचलित इस योजना के तहत् अपंग, परित्यक्ता व निराधार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सहायता प्रदान की जाती है।

17. इन्दिरा सूचना शक्ति योजनाः छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब छात्राओं को सुचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा और प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना है।

18. राजलक्ष्मी योजनाः राजस्थान सरकार की इस योजना में 35 वर्ष के कम उम्र के दो बच्चों पर नसबंदी ऑपरेशन कराने पर राज्य सरकार द्वारा पुत्री के नाम 1500 रूपये की यूनिट तथा अनुसूची जनजाति की पुत्री के नाम 2,000 रूपये के यूनिट उपहार में दिये जाते हैं, जो 20 वर्ष की आयु होने पर उसे प्राप्त हो जाते हैं।

19. जाबलि योजनाः मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ी जनजातियों में वेश्यावृत्ति को प्राप्त सामाजिक मान्यता का अन्त करने के लिये 1992–93 से यह योजनाा प्रारम्भ की है क्योंकि इस प्रथा का शिकार महिलाओं तथा बालिकाओं को ही होना पड़ता है। इस योजना में बच्चों के लिए आश्रयशाला, अनुरक्षण गृह महिलाओं के लिये आर्थिक कार्यक्रम स्वास्थ्य जाँच, उपचार आदि गतिविधियाँ शामिल है।

20. उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित की गयी योजनाएँः 15 जनवरी 2009 सुश्री मायावती जी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित की गई योजनाएँ महिला उत्थान के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्व होगी। महिला विकास की योजनाएँ जैसे–

1. महामाया गरीब आशीर्वाद योजना।
2. सावित्री बाई फुले बालिका मदद् योजना।
3. वृद्व महिला आश्रमों की स्थापना।
4. अनुपूरक पोषाहार योजना।

21. महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजनाः महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत वी0पी0एल0 परिवार में जन्मी बालिकाएँ लाभान्वित होगी। इस योजना के तहत 18 वर्ष उम्र पूरी होने के बाद बालिका को एक लाख रूपया मिलेगा। लेकिन शर्त यह होगी कि तब तक उसका विवाह न हुआ हो। बालिका के नाम एक मुश्त धनराशि का फिक्स डिपोजिट होगा।

22. सावित्री बाई फुले बालिका मदद् योजनाः इस योजना के तहत गरीब रेखा के नीचे प्रोत्साहन स्वरूप एक मुश्त धनराशि मिलेगी। 11वीं कक्षा में जाने पर बालिका को एक मुश्त 15 हजार रूपये व एक साईकिल दी जायेगी। इसके बाद यदि बालिका 12वीं में प्रवेश लेती है तो उसे आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए 10 हजार रूपये और दिये जायेंगे। यह धनराशि बालिका के छात्रवृत्ति अथवा अन्य मदों से मिलने वाली सुविधाओं के अलावा होगी।

उपरोक्त योजनाओं के अलावा भी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक कल्याण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992, ऋण प्रोत्साहन योजना 1993 विपणन वित्त योजना 1993, स्वयं सहायता योजना 1993, मार्जिन मनी ऋण योजना 1995, ग्रामीण महिला विकास परियोजना 1996, राजराजेश्वरी बीमा योजना 1997, आयुष्मती योजना, दत्तक पुत्री शिक्षा कार्यक्रम, समर्थ योजना आदि संचालित की जा रही है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं के कल्याण एवं विकास की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाये गये है, सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गयी है। महिलाओं हेतु सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है, जिससे की उनकी सहभागिता न्यूनतम स्तर तक अवश्य हो सके एवं महिलाओं को इन कार्यक्रम का लाभ मिल सके, परन्तु महिला विकास की इन नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किए बिना अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना असम्भव होगा। अब समय का तकाजा है। कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता पुनः नये सिरे से निर्धारित की जाये और संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाये कि यह कार्यक्रम तथा योजनाएँ सही–सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों और सही–सही क्षेत्रों तक पहुँच सके। इस प्रकार के कुछ व्यावहारिक कदम उठा करके सदियों से उपेक्षित रही इस आधी आबादी में नयी स्फूर्ति लायी जा सकती है तथा देश के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास में इन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम् उद्देश्य की पूर्ति संभव हो सकती है।

संदर्भ सूची

सेबाइनए, जी0एच0, ए हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी, जॉर्ज एच0 हार्पर, लन्दन, 1939

हॉब्स, टी0, लोवियाथन, ऑक्सफोर्ड, बेसिक बुक वैल, 1957

सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारत, नई दिल्ली, 2000

भगवत शरण उपाध्याय, भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, नई दिल्ली, 1996

कुमार विघ्नेश, 'गाजियाबाद के चार हजार वर्ष', हस्तिनापुर शोध संस्थान, विक्टोरिया पार्क, मेरठ, 2006

कुमार विघ्नेश एवं सिंघल दीपक, 'मेरठ मण्डल का स्वर्णिम अतीत' हस्तिनापुर शोध संस्थान, विक्टोरिया पार्क, मेरठ, 2005

कामन्दकीय नीतिसार (13/45) में 'प्रशास्ता' में भी सूचना के अर्थ का प्रयोग हुआ है।

फड़िया, बी0एल0, 'लोक प्रशासन के सिद्धान्त' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2013

'भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष' लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, अगस्त 1997

अवस्थी अमरेश्वर, माहेश्वरी श्रीराम, 'लोक प्रशासन' लक्ष्मी प्रसारण पब्लिकेशन्स, आगरा, 1979

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।